

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी०एम०पी० संख्या—३०० / २०१९

मेसर्स सैनिक फूड्स प्रा० लिमिटेड, अपने निदेशक श्री अजय कुमार रस्तोगी के माध्यम से जिसका ग्राम एच०आई०जी०, डी०—५, दीन दयाल नगर, चरण—१, कथ रोड, मुरादाबाद में अपना कार्यालय है

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य सचिव, खान एवं भू विज्ञान विभाग, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची के माध्यम से।
2. खान आयुक्त, खान एवं भू विज्ञान विभाग, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची।
3. निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची।
4. उपायुक्त, रामगढ़।
5. जिला खनन अधिकारी, रामगढ़।

..... विपक्षीगण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्ता के लिए : श्री विपुल पोददार, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए : कोई नहीं।

4 / 11.02.2022 याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता इस दीवानी विविध याचिका को इस आधार पर वापस लेने की प्रार्थना करते हैं कि याचिकाकर्ता की शिकायतों का निवारण किया गया है।

उनकी सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, यह सिविल विविध याचिका, तदनुसार, वापस लेने के कारण खारिज कर दी गई है।

(आनंदा सेन, न्याया०)